# चेकलिस्ट संख्या 3A – भारतीय पोतों की बिक्री – स्वामित्व में परिवर्तन

प्रकरण 1: किसी अन्य भारतीय स्वामी को आगे संचालन हेतु

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| क्र. सं. | दस्तावेज़ विवरण | हाँ/नहीं |
| 1 | खरीदार और विक्रेता दोनों द्वारा डीजीएस और रजिस्ट्रार को सूचना देना आवश्यक है। खरीदार का नाम और पूर्ण पता देना होगा और उसकी स्वीकृति की प्रति संलग्न करनी होगी। |  |
| 2 | पोत को खरीदने/बेचने का ‘समझौता ज्ञापन’ (MOA) की प्रति। |  |
| 3 | विक्रेता कंपनी की ओर से कंपनी सचिव (या दो निदेशकों) द्वारा हस्ताक्षरित मूल बोर्ड संकल्प जिसमें पोत को बेचने, खरीदारों का विवरण और केवल कंपनी के किसी व्यक्ति को ‘बिक्री विधेय’ (Bill of Sale) पर हस्ताक्षर के लिए अधिकृत करना शामिल हो। |  |
| 4 | मूल बिक्री विधेय (प्रारूप संख्या 8 व्यक्तिगत / संयुक्त स्वामियों हेतु; प्रारूप संख्या 9 कंपनियों हेतु) रजिस्ट्रार द्वारा प्रदान किया जाता है। इसे विक्रेता द्वारा सामान्य मुहर के साथ और दो गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर करना आवश्यक है। अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और गवाहों का नाम व पद उल्लेखित होना चाहिए। |  |
| 5 | खरीदार कंपनी का मूल बोर्ड संकल्प..., प्रत्येक के 10 में से कितने शेयर हैं, यह स्पष्ट किया गया हो। |  |
| 6 | स्वामित्व की घोषणा...शेयरों की संख्या स्पष्ट रूप से लिखनी आवश्यक है (जैसे – “पूर्ण” / “10 में से 10” / “All Ten”)। |  |
| 7 | अधिकृत व्यक्ति/व्यक्तियों का आधार कार्ड जिनके द्वारा उपरोक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किया गया हो। |  |
| 8 | 200 जीटी से ऊपर के पोतों हेतु, विक्रेता से शिपिंग मास्टर का अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC)... |  |
| 9 | नाविक भविष्य निधि आयुक्त (SPFC) से NOC आवश्यक... |  |
| 10 | i) यदि शिपिंग मास्टर व SPFC के NOC शर्तों सहित हों, तो कंपनी द्वारा शपथपत्र देना होगा... ii) 200 GRT से कम के पोत हेतु अलग शपथपत्र (उदाहरण संलग्न)। |  |
| 11 | नौसेना दस्तावेजों की वापसी हेतु नौसेना प्राधिकरणों से NOC (500 GT व उससे अधिक विदेशी संचालन वाले पोतों हेतु)। |  |
| 12 | हस्तांतरण के समय पोत पर कोई लंबित बंधक नहीं होना चाहिए। (मौजूदा बंधक समाप्त कर खरीदार के नाम से पुनः सृजित किया जा सकता है)। |  |
| 13 | विक्रेता से मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र / या घोषणा कि नया प्रमाणपत्र जारी होने के एक माह के भीतर पुराना रद्द करवाया जाएगा। |  |
| 14 | खरीदार कंपनी का स्मृति-पत्र एवं उपविधियाँ और कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न होनी चाहिए। |  |
| 15 | खरीदार द्वारा विक्रेता से मूल सतत संक्षिप्त विवरण पत्र (CSR) प्राप्त होने का प्रमाण और उसकी पावती की प्रति डीजीएस को प्रेषित की गई हो। |  |
| 16 | टैंकरों हेतु: मूल नागरिक देयता प्रमाणपत्र (Civil Liability Certificate) समर्पित करना होगा। |  |
| 17 | अंतिम कमांड परिवर्तन का प्रमाण... यदि नहीं किया गया हो तो दंड देय। |  |
| 18 | भारत कोष भुगतान रसीद ₹1500/- |  |

टिप्पणियाँ:

(a) एमएस नोटिस 11/2015 के अनुसार साझेदारी फर्म के नाम पर पोत का पंजीकरण नहीं किया जा सकता।

(b) बोर्ड संकल्प पर सामान्य मुहर अनिवार्य नहीं है, परंतु विक्रय विधेय, बंधक (प्रपत्र 11), पावर ऑफ अटॉर्नी आदि पर सामान्य मुहर आवश्यक है।

(c) यदि नया स्वामी पोत का नाम, आधिकारिक नंबर, कॉल साइन और एमएमएसआई संख्या यथावत रखना चाहता है तो रजिस्ट्रार को सूचित करें।

(d) नाम परिवर्तन की प्रक्रिया अलग चेकलिस्ट संख्या 10 में दी गई है।

महत्वपूर्ण सूचना: संलग्न सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी कंपनी के अधिकृत व्यक्ति द्वारा सत्यापित और मुहर लगी होनी चाहिए। अन्यथा दस्तावेज़ अस्वीकृत किए जाएंगे।